(नियम 26)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी–सूरतगढ

राजाराम आदि बनाम मंगतूराम वगै0

किस्म मुकदमाः–251(क) आरटीए। प्रकरण संख्याः–50/2016

| तारीख हुक्म | हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज | नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए |
|---|---|---|
| 06.08.2020 | पत्रावली पेश हुई। वकील उभयपक्ष उपस्थित। बहस सुनी गई। वकील प्रार्थी श्री रामप्रताप तिवाड़ी ने प्रा.पत्र को दोहराते हुए बताया कि प्रार्थीगण के नाम चक 1 जीडीएसएम के खाता सं. 1 पत्थर नम्बर 59/4 (86) के किला नं. 1 ता 10, 12, 19 में 4.554 है0 कमाण्ड खातेदारी भूमि स्थित है। जिस पर प्रार्थीगण का मौका पर कब्जा काश्त है तथा फसल काश्त की हुई है। अप्रार्थी सं. 1 के नाम से तहसील सूरतगढ़ के चक 1 जीडीएसएम के खाता सं. 58/47 के पत्थर नम्बर 59/20(84) के किला नम्बर 21/2/0.228 है0, पत्थर नम्बर 59/12 (85) के किला नम्बर 16, 21 ता 25/1.393 है0, 59/4(86) किला नम्बर 22 ता 25/0.912 है0 व पत्थर नम्बर 59/5(103) के किला नम्बर 2 ता 9/2.024 है0, 59/13(104) किला नम्बर 1 ता 20/5.060 है0 व 59/21 (105) किला नम्बर 1, 9 ता 12, 20 की 1.518 है0 इस प्रकार कुल 11.1350 है0 खातेदारी भूमि पर है। प्रार्थीगण को अपनी भूमि पर चक 1 जीडीएसएम गांव की सड़क से होकर चक 1 जीडीएसएम के पत्थर नम्बर 59/36 व 59/44 व पत्थर नम्बर 59/12 जो कि मंजूरशुदा रास्ता है में से होकर पत्थर नम्बर अप्रार्थी सं. 1 के नाम की भूमि पत्थर नम्बर 59/4 के किला नम्बर 25 में प्रवेश कर प्रार्थीगण अपनी भूमि पत्थर नम्बर 59/4 के किला नम्बर 16 में प्रवेश करते है, और प्रार्थीगण इस रास्ते का काफी समय से अपनी भूमि में आने–जाने के लिय उपयोग करते है। किन्तु अप्रार्थी सं. 1 अब प्रवेश करने में व्यवधान उत्पन्न कर रहा है, जबकि प्रार्थीगण की भूमि अप्रार्थी सं. 1 की चिपती भूमि है। इस रास्ता के अलावा प्रार्थीगण के पास ओर कोई रास्ता नही है। प्रार्थीगण, अप्रार्थीगण के नाम की भूमि चक 1 जीडीएसएम के प0नं0 59/4 के किला नम्बर 25 में 2 बिस्वा चौड़ाई व 1 बीघा लम्बाई में उत्तर से दक्षिणा में रास्ता मंजूर करवाना चाहता है। प्रार्थीगण रास्ता में आने वाली भूमि के बदले अप्रार्थी को बदले में भूमि/डीएलसी रेट से राशि देने हेतु सहमत है। अतः प्रा.पत्र स्वीकार किया जावे।<br><br>प्रा0पत्र प्रस्तुत करने पर दर्ज किया जाकर अप्रार्थीगण को तलब किया गया तथा तहसीलदार सूरतगढ़ से रिपोर्ट ली गई। अप्रार्थीगण बावजूद सूचना हाजिर नही आने पर उनके विरूद्ध दिनांक 30.07.2020 का एकपक्षीय कार्यवाही की जाकर बहस सुनी गई।<br><br>वकील उभयपक्ष की बहस पर मनन किया पत्रावली का अवलोकन किया गया। तहसीलदार सूरतगढ़ द्वारा प्रेषित रिपोर्ट का अवलोकन किया गया। जमाबन्दी अनुसार प्राथीगण राजराम वगैरह के नाम प.नं. 59/4 में कि.नं. 1 ता 10, 12 ता 19 में 4.554 है0 तथा अप्रार्थी सं. 1 के नाम चक 1 जीडीएसएम में 11.135 है0 खातेदारी रकबा है। प्रार्थीगण अप्रार्थी सं. 1 के नाम की खातेदारी भूमि 59/4 के कि.न. 25 में रास्ता चाहा है। प्रार्थीगण के रकबा में आगवामन हेतु कोई स्वीकृतशुदा रास्ता नही लगता है। प.नं. 59/4 के कि.नं. 21 ता 25 में प्रत्येक में 0.025 है0 स्वीकृतशुदा रास्ता है। प्रार्थीगण को भी अपने खेत में आने जाने हेतु कोई रास्ता नहीं है। रास्ता की एक काश्तकार को अपने खेत में आवागमन हेतु आवश्यकता होती है। प्रार्थीगण रास्ता की एवज में अप्रार्थी को भूमि देने हेतु तैयार है जिससे अप्रार्थी की रास्ता की एवज में जानी वाली भूमि की भरपाई जावेगी। भू0अ0निरीक्षक की रिपोर्ट अनुसार प्रार्थीगण को अपने खेत में आने जाने हेतु कि. नं. 25 से कि.नं. 16 में प्रवेश हेतु रास्ता दिया जा सकता है। इस... सं.1 के | |

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ़

उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ़

Signature Not Verified

Digitally signed by Manoj Kumar Meena
Date: 2020.10.09 17:00:16 IST
Reason: SelfAttested

| तारीख हुक्म | हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज | नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए |
|---|---|---|
| | किला नं. 25 के पूर्वी दिशा में दक्षिण से उत्तर दिशा में 2 बिस्वा रास्ता स्वीकार किया जाना तथा एवज में अप्रार्थी सं. 1 को कि.नं. 25 में उत्तर की तरफ अप्रार्थी सं. 1 की भूमि के चिपते हुए 2 बिस्वा भूमि दिया जाना उचित समझती हूँ जिससे किसी भी पक्षकर को कोई नुकसान नहीं होगा।<br><br>अतः प्रार्थीगण का प्रा.पत्र स्वीकार किया जाता है तथा प्रार्थीगण को अपने खातेदारी रकबा वाके चक 1 जी.डी.एस.एम प.नं. 59/4 में कि.नं. 1 ता 10, 12 ता 19 में 4.554 हैक्टर में आने जाने हेतु अप्रार्थी 1 की भूमि वाके चक 1 जी.डी.एस.एम. प.नं. 59/4 के कि.नं. 25/1 की 0.228 हैक्टर कमाण्ड भूमि के पूर्वी दिशा में दक्षिण से उत्तर दिशा में दो बिस्वा (16.5 फुट चौड़ाई, 165 फुट लम्बाई) कुल 0.025 हैक्टर रास्ता स्वीकार किया जाता है जिसे राजस्व जमाबन्दी में गै0मु0रास्ता दर्ज किया जावे। अप्रार्थी 1 की भूमि में उक्त स्वीकृत 0.025 हैक्टर रास्ता की एवज में प्रार्थीगण के रकबा चक 1 जी.डी.एस.एम प.नं. 59/4 में कि.नं. 17 में दक्षिण दिशा में (पश्चिमी से पूर्व लम्बाई में) अप्रार्थी की भूमि के सटते हुए दिये जाने के आदेश दिये जाते है जो अप्रार्थी 1 के नाम खातेदारी दर्ज की जावेगी। स्वीकृत किये गये रास्ता व एवज में दी जाने वाली भूमि का राजस्व रिकार्ड में इन्द्राज किये जाने हेतु तहसीलदार-सूरतगढ़ के नाम तहरीर जारी हो। पत्रावली नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।<br><br>निर्णय आज दिनांक 06.08.2020 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।<br><br>उपखण्ड अधिकारी<br>सूरतगढ़ | |

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ़

Signature Not Verified

Digitally signed by Manoj Kumar Meena
Date: 2020.10.09 17:00:16 IST
Reason: SelfAttested